

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

संचिका सं०-9/मेला आवंटन (बेगूसराय)-III-05/2026-.....(9)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

**विषय:-** बेगूसराय जिलान्तर्गत राजकीय सिमरिया कल्पवास मेला, 2025 के आयोजन एवं व्यवस्था तथा सिमरिया कल्पवास मेला, 2024 के बकाया भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि में से मो०-64,16,693=00 (चौसठ लाख सोलह हजार छः सौ तिरानवे) रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

**आदेश:-** स्वीकृत।

बेगूसराय जिलान्तर्गत राजकीय सिमरिया कल्पवास मेला, 2025 के आयोजन एवं व्यवस्था तथा सिमरिया कल्पवास मेला, 2024 के बकाया भुगतान हेतु मो०-64,16,693=00 (चौसठ लाख सोलह हजार छः सौ तिरानवे) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत है :-

क्र०	मेला का नाम	समाहर्ता, बेगूसराय का पत्रांक/दिनांक	स्वीकृत राशि (2025-26)
1	सिमरिया कल्पवास मेला, 2025	पत्रांक-1842/रा०, दिनांक-24.09.2025	45,00,000/-
2	सिमरिया कल्पवास मेला, 2024 (बकाया राशि)	पत्रांक-1658/रा०, दिनांक-03.09.2025	19,16,693/-
		कुल	<b>64,16,693=00</b> (चौसठ लाख सोलह हजार छः सौ तिरानवे)

- राशि की निकासी शीर्ष-2029-भू-राजस्व-104-सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध-0002-हाट, बाजार, कचहरी इत्यादि का सुरक्षण-2701, लघु कार्य माँग सं०-40 विपत्र कोड-40-2029001040002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2025-26 में उपबंधित राशि से की जायेगी।
- संबंधित मेले के लिए स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय संबंधित मेले के आयोजन के लिए ही किया जायेगा तथा स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित समाहर्ता, अपर समाहर्ता एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561(वी०)(2) दिनांक-17.04.98 एवं विभागीय पत्रांक-2894(9), दिनांक-07.08.2025 के आलोक में किया जायेगा।
- इस राशि की निकासी CFMS 2.0 के माध्यम से आवंटन के पश्चात की जायेगी।
- समाहर्ता, बेगूसराय को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का व्यय संबंधित अपर समाहर्ता/संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता/संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा कराया जाय।

कृ०पू०उ०

7. उक्त राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
8. उक्त राशि का व्यय सिर्फ संबंधित मेले के आयोजन हेतु विभिन्न मदों में किया जायेगा।
9. यह राशि इस शर्त पर स्वीकृत एवं आवंटित की जाती है कि पूर्व में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र आवंटन/स्वीकृत्यादेश निर्गत तिथि के 15 दिनों के अन्दर एवं अद्यतन दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र 30 दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराना अपर समाहर्ता, बेगूसराय की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी। अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
10. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 /—  
(जय सिंह),  
सचिव।

ज्ञापांक:—9/मेला आवंटन (बेगूसराय)—III-05/2026—.....<sup>483</sup>.....(9)/रा0, पटना—15, दिनांक:—<sup>27/02/26</sup>.....  
प्रतिलिपि :—आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/समाहर्ता, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी,  
बेगूसराय एवं उपकोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)  
सचिव <sup>27/02/26</sup>

फैक्स/  
ई-मेल  
✓